न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर

पीठासीन अधिकारी :: लाखन सिंह गुर्जर(आर0ए0एस0)

दावा संख्या 1/105

तारीख दायरा 15.08.2020

उनवान

1. चिरंजीलाल पुत्र मक्खन लाल जाति मीना निवासी मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय बहैसियत लैण्ड होल्डर जिला अलवर राज0।

.....प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 16.02.2021</u>**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1202 रकबा 0.6700,1717 रकबा 0.0400,1718 रकबा 0.7000,1719 रकबा 0.8700,1735 रकबा 0.8700,1736 रकबा 0.5600 , 1737 रकबा 0.4300,1738 रकबा 1.2300,2132/1739 रकबा 0.9200,2133/1739 रकबा 1.2600 वाके ग्राम मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जो आराजी दावा हाजा में विवादित आराजी मुतनाजा है। जिसे आगे चलकर उपरोक्त दावा हाजा में विवादित आराजी मुतनाजा के

नाम से संबोधित किया जा रहा है। ताईद में नकल जमाबन्दी हाल उपरोक्त दावा हाजा के साथ पेश है।

उपरोक्त आराजी वादी की पैतृक आराजी है जिस आराजी को वादी उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा वादी से पूर्व उक्त आराजी पर वादी के पिता व बाबा काबिज जायदाद थे, जिस जायदाद पर रामसहाय पुत्र बुद्वा मीना व उसके पिता व बाबा का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और ना कभी उन्होंने उक्त आराजी में कास्त की और ना अब काबिज है। बन्दोबस्त विभाग ने बेजा रूप से उक्त आराजी में रामसहाय पुत्र बुद्वा मीना के बुजुर्गान का नाम शिकमी साल 23 दर्ज कर दिया । जिसकी जानकारी मुझ वादी को अब दिनांक 20.01.2020 को हुई।

वादी उक्त विवादित आराजी पर पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड की फाईल बनवाने गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि उक्त विवादित आराजी में रामसहाय पुत्र बुद्वा को शिकमी साल 23 दर्ज कर रखा है।

जिस कारण उक्त आराजी पर आप क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकते । जिस पर हमने पटवारी हल्का से कहा कि रामसहाय पुत्र बुद्वा मीना हमारे पूर्वज हैं तथा रामसहाय फौत हो गया है जिसके कोई कानूनी वारिसान नहीं हैं। जिस रामसहाय की चल व अचल सम्पत्ति पर भी मुझ वादी का ही कब्जा है, जिस बाबत् पटवारी के नाम कब्जे की व वारिसान की जॉच के आदेश भी करवाये जिसमें भी पटवारी हल्का ने मुझ वादी का कब्जा स्वीकार किया है। उक्त विवादित आराजी में गलत रूप से उनके शिकमी साल 23 का इन्द्राज हटवाने बाबत् कहा पटवारी से बात की तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार साहब

लक्ष्मणगढ से उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कराने बाबत् हां करली लेकिन अब पटवारी हल्का ने साफ इन्कार कर दिया कि उक्त विवादित आराजी में से शिकमी साल 23 का इन्द्राज उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के यहा दावा करके ही हटवाया जा सकता है, जिस पर राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त कर यह दावा श्रीमान् अदालत में पेश किया जा रहा है।

उक्त विवादित आराजी में रामसहाय पुत्र बुद्वा मीना शिकमी साल 23 का इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने बाबत् एक नोटिस भी 60 योम का जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा रजिस्टर्ड ए डी के प्रतिवादीगण को दिनांक को दिया गया लेकिन नोटिस प्रतिवादी को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी ना तो उक्त विवादित आराजी में से रामसहाय पुत्र बुद्वा मीना शिकमी साल 23 का इन्द्राज हटाया और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया बल्कि मुझ वादी को ऐलानिया धमकी दी है कि उक्त विवादित आराजी में रामसहाय पुत्र बुद्वा मीना शिकमी साल 23 दर्ज है और रामसहाय के कोई वारिसान नहीं होने के कारण उक्त विवादित आराजी से वादी को बेदखल कर उक्त आराजी को कब्जेराज लिया जावेगा । जिस कारण यह दावा श्रीमान् अदालत में पेश है।

उक्त विवादित आराजी में गैर कानूनी रूप से राजस्व रिकॉर्ड में रामसहाय पुत्र बुद्वा मीना शिकमी साल 23 दर्ज होने से वादी के हक वो अधिकार समाप्त हो रहे हैं तथा वादी को उक्त आराजी बाबत् राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जा रही योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है जिस कारण उक्त विवादित आराजी में से वादी शिकमी साल 23 का

इन्द्राज कलमजन किया जाकर वादी को उक्त आराजी का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

दावा हाजा के लिये बिनाय दावी बिनाय दावी वो बिनाय मुखास्मत दिनांक 20.01.2020 जिस रोज हम वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज यानि शिकमी साल 23 के इन्द्राज की जानकारी हुई तथा उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड से शिकमी का इन्द्राज हटवाने से साफ इन्कार कर देने से पैदा होती है। अतः दावा मामूलन अन्दर अवधि पेश है।

उक्त दावा में प्रतिवादी राजस्व कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ दावा लाने से पूर्व 60 योम का नोटिस दिया जाना आवश्यक है । चूंकि नोटिस अवधि पूर्ण होने में समय लगेगा तथा शिकमी के इन्द्राज के आधार पर उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण मुझ वादी को बेदखल करने पर तुला हुआ है लेकिन दावा अरजेन्ट चेकर का होने के कारण उक्त दावा नोटिस अवधि से पूर्व पेश किया जा रहा है।

विवादित आराजी वाके ग्राम मलावली तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित है तथा पक्षकारान भी अदालत श्रीमान के हदूद निवासीयान हैं तथा दावा राजस्व प्रकृति का है, ऐसे दावो को श्रीमान् अदालत को श्रवण योग्य क्षेत्राधिकार हांसिल है।

दावा इस्तकरार हक इसके कि आराजी ख0नं0 1202 रकबा 0.6700,1717 रकबा 0.0400,1718 रकबा 0.7000,1719 रकबा 0.8700,1735 रकबा 0.8700,1736 रकबा 0.5600,1737 रकबा 0.4300, 1738 रकबा 1.2300,2132/1739 रकबा 0. 9200,2133/1739 रकबा 1.2600 वाके ग्राम मलावली तहसील लक्ष्मणगढ का वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे

तथा उक्त आराजी में बतौर शिकमी साल 23 रामसहाय पुत्र बुद्वा मीना दर्ज कर रखा है,उसे कलमजन किया जावे।

दावा हुक्इम्तनाई दवामी मशवरे से प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त आराजी में वादी को उपयोग उपभोग लेने में रूकावट मजाहमत पैदा ना करे, जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करने से बाज आवे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

हमने पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सूचित किया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर उल्लेखित किया है कि जिम्मन नम्बर 01 इस प्रकार स्वीकार है कि आराजी वाके ग्राम मलावली में है तथा वादी की खातेदारी में है। जिम्मन नम्बर 2 ला. 9 वादी स्वयं साबित करे। रामसहाय को मृतक होना बताया है तथा कोई भी वारिसान होना नहीं बताया है जिसे वादी स्वयं साबित करे एवं मृतक रामसहाय व यदि मृतक का कोई वारिसान है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो इस कार्यालय को भी कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत् 2074–2077 वाके ग्राम खोहरा मलावली के खाता संख्या 83 में वादी का नाम चिरंजीलाल पुत्र मक्खनलाल हि0 1/3 जाति मीना सा. देह खातेदार व अन्य दर्ज रिकॉर्ड है ,जो सही है किन्तु जमाबंदी संवत् 2074–2077 वाके ग्राम मलावली के खाता संख्या 82 में चिरंजीलाल पुत्र मक्खन हि0 पूर्ण जाति मीना साकिन देह खातेदार अ.विव.–चिरंजी खाता उपरोक्त भा. रामसहाय पुत्र बुद्धा मीना साकिन देह सिकमी साल 23 ख.नं. 1739 मिन दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। साक्ष्य

में चिरंजी पुत्र मक्खन का शपथ पत्र,रामलाल पुत्र मुगूंलीराम जाति मीना नि0 मलावली में उल्लेखित किया है कि उक्त आराजी चिरंजी के कब्जेकाश्त खातेदारी में रही है। रामसहाय का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है तथा सरपंच ग्राम पंचायत खोहरा मलावली की रिपोर्ट अनुसार रामसहाय पुत्र बुद्धा जाति मीना निवासी मलावली तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर का निवासी जो करीब 50 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, जो नाऔलाद मर चुका है। सजरा के मुताबिक उसका वारिस चिरंजीलाल पुत्र मक्खन कौम मीना निवासी मलावली तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर है। उक्त से जाहिर होता है कि प्रश्नगत आराजी वादी के कब्जेकास्त में है और पूर्व से ही इनका कब्जा चला आ रहा है। अतः उक्त आराजी में रामसहाय पुत्र बुद्धा मीना शिकमी साल 23 दर्ज है,जिसको कमलजन किया जाना उचित है। अतः हमारी विनम्र राय में वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी बहक प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि जमाबंदी संवत् 2074–2077 वाके ग्राम मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 1202, 1717, 1718, 1719,1735,1736,1737,1738, 2132/1739 व 2133/1739 में दर्ज समस्त इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि चिरंजीलाल पुत्र मक्खन कौम मीना सा. मलावली को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। बैंक रहन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लाखन सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ(अलवर)